बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

लोहा कन्स0 प्रा0 लि0 के निदेशक श्री लक्ष्मण कुमार सिंह (निबंधन संख्या:- 1848/2010 श्रेणी-द्वितीय), पता:-ग्राम-जमुनिया, पो0--सरडीहा, थाना- सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-5437 दिनांक 28.05.2018 द्वारा अगले 15 (पन्द्रह) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरूद्ध दिनांक 16.04.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

13/06/2025

आदेश

याचिकाकर्त्ता श्री लक्ष्मण कुमार सिंह निदेशक लोहा कन्स0 प्रा0 लि0 पता:- ग्राम-जमुनिया, पो0-सरडीहा, थाना- सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा एवं विभाग की ओर से नोडल पदाधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा उपस्थित।

प्रस्तुत मामला ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा के अधीन PMGSY योजनान्तर्गत एम0डी0आर0 टी03 से बेला टोला पथ का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नहीं किये जाने के कारण संवेदक लोहा कन्स0 प्रा0 लि0 (निबंधन संख्या:- 1848/2010 श्रेणी-द्वितीय) को **विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-5437 दिनांक 28.05.2018** द्वारा 15 (पन्द्रह) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

उक्त कालीकृत (Blacklist) आदेश के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक 16.04.2025 के आलोक में 16.05.2025 एवं 09.06.2025 सुनवाई के क्रम में संवेदक लोहा कन्स0 (निबंधन संख्या- 1848/2010 श्रेणी-द्वितीय) द्वारा मुख्यतः निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया:-

(i) 15 वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने संबंधी विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 5437 दिनांक 28.05.2018 की सूचना उन्हें वर्ष 2025 में इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुआ। उक्त अवधि में पथ प्रमंडल, सहरसा द्वारा उन्हें तीन कार्य आवंटित भी किये गये, जिसका कार्य भी पूर्ण कर दिया गया है, और भुगतान प्राप्त किया गया है। सुनवाई के क्रम में इससे संबंधित साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया।

(ii) PMGSY योजनान्तर्गत एम0डी0आर0 टी03 से बेला टोला पथ के रेखांकन एवं वास्तविक स्थिति में अन्तर होने तथा उक्त पथ के आरेखन में बैदी घाट एवं भवदवा घाट में पुल निर्माण कार्य एवं एप्रोच रोड कार्य नहीं होने के आलोक में बेला टोला से बैदी घाट तक पथ के हिस्से का निर्माण कार्य वर्ष 2012 में पूरा करते हुए उक्त हिस्से का 03 (तीन) वर्ष तक अनुरक्षण कार्य किया गया। इसकी प्रविष्टि मापी पुस्त में दर्ज की गयी तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा C & P किया गया, लेकिन उसका भुगतान उन्हें नहीं किया गया।

(iii) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा द्वारा जनवरी 2016 में उक्त कार्य का पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया तथा अचानक से जून 2016 में एकरारनामा संख्या 73 SBD/2019 को विखंडित किया गया तथा अन्य कटौतियों की गयी राशि को जब्त करने का निर्णय लेते हुए काली सूची में डालने की अनुशंसा की गयी। साथ ही एकरारनामा संख्या 73 SBD/2019 के विखंडन के फलस्वरूप कुल वसूलनीय राशि 38,64,954/-

(अड़तीस लाख चौसठ हजार नौ सौ चौवन रूपये) में से 19,00,235/– (उन्नीस लाख दो सौ पैतीस रूपये) की वसूली उनके EMD + SD + PSD + ET को जब्त कर ली गयी जबकी शेष वसूलनीय राशि 19,64,719/– (उन्नीस लाख चौसठ हजार साता सौ उन्नीस रूपये) की वसूली उन्हें आवंटित अन्य योजनाओं की PSD तथा पैकेज संख्याः– BR29R/058 तथा BR29R/067 के प्रथम वर्ष के अनुरक्षण कार्य से किये जाने हेतु कार्रवाई की गयी।

(iv) दिनांक 13.06.2025 को सुनवाई के क्रम में संवेदक द्वारा कालीकृत अवधि में पथ निर्माण, पथ प्रमंडल, सहरसा द्वारा वर्ष 2019 से 2021 की अवधि में 03 कार्य आवंटित होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तथा उक्त पथ के आरेखन में पड़ने वाले दोनो पुल एवं एप्रोच रोड का कार्य प्रारम्भ, समाप्ति की तिथि से संबंधित अभिलेख भी प्रस्तुत किया गया।

सुनवाई के क्रम में संवेदक द्वारा उक्त योजना से संबंधित लंबित दावों के भुगतान हेतु माननीय ट्रिब्युनल, पटना में दायर रैफरेन्स वाद संख्या–211/2017 लोहा कन्स0 प्रा0 लि0 बनाम बिहार राज्य एवं अन्य को वापस लिये जाने हेतु लिखित Undertaking समर्पित करते हुए उक्त कालीकृत (Blacklist) आदेश को निरस्त (Set aside) करने तथा पैकेज संख्या– 41, 45, 52, 58, 67 एवं 133 अन्तर्गत लंबित राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन एवं सुनवाई के क्रम में समर्पित अभिलेख कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा एवं नोडल पदाधिकारी, PMGSY से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि संवेदक लोहा कन्स0 प्रा0 लि0 द्वारा उक्त कार्य (एम0डी0आर0 टी03 से बेला टोला) आवंटित होने के उपरान्त कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा को वर्ष 2009 से 2013 तक रोड के एलाईमेन्ट की वास्तविक स्थिति में अन्तर प्रतिवेदित करते हुए उक्त योजना अन्तर्गत बेला टोला से बैदी घाट तक पथ निर्माण कार्य पूरा करा पाना संभव है, से अवगत कराया है तथा पथ के उक्त हिस्से का निर्माण कार्य 30.03.2012 तक पूर्ण कराकर 03 वर्षो तक अनुरक्षण कार्य भी किया गया है। वर्ष 2014 में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा द्वारा समर्पित संयुक्त प्रतिवेदन से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। उक्त संयुक्त प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि उक्त पथ के शेष बचे लम्बाई (1.496 कि0मी0) में से आंशिक लम्बाई (लगभग 0.5 कि0मी0) वर्त्तमान में कार्य कराना संभव हो पायेगा, परन्तु इस अंश में भी पथ निर्माण हेतु चौड़ाई उपलब्ध नहीं है तथा मिट्टी भी Head Load से उपलब्ध नहीं है। अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु प्राक्कलन में प्रावधानित मिट्टी की मात्रा एवं सभी मदो दर में सुधार अपेक्षित है। शेष पथांश (लगभग 1.00 कि0मी0) में अभी भी कार्य करने की स्थिति नहीं है।

अतएव उक्त वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर समीक्षोपरान्त नैसर्गिक न्याय के तहत आदेश ज्ञापांक–5437 दिनांक 28.05.2018 को निरस्त (Set aside) किया जाता है। साथ ही कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा को निदेश दिया जाता है कि पैकेज संख्या– 41, 45, 52, 58, 67 एवं 133 अन्तर्गत लंबित राशि का भुगतान नियमानुसार किया जाय।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–03–03 / 2025 6801 / पटना, दिनांक 27.6.25

निबंधित

प्रतिलिपिः– श्री लक्ष्मण कुमार सिंह निदेशक लोहा कन्स0 प्रा0 लि0 पताः– ग्राम– जमुनिया, पो0–सरडीहां, थाना– सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहरसा पिन कोड–852127 को सूचनार्थ प्रेषित।

26.06.2025

(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–03–03 / 2025 6801 / पटना, दिनांक– 27.6.25

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.06.2025
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–03–03 / 2025 6801 / पटना, दिनांक– 27.6.25

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्य ककार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.06.2025
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–03–03 / 2025 6801 / पटना, दिनांक–27.6.25

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी (डीबार एवं काली सूची) ग्रामीण कार्य विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.06.2025
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–03–03 / 2025 6801 / पटना, दिनांक– 27.6.25

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

26.06.2025
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–03–03 / 2025 6801 / पटना, दिनांक– 27.6.25

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.06.2025
सरकार के अवर सचिव